

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. VI, Third Session, 2014/1936 (Saka)
No. 22, Tuesday, December 23, 2014/Pausa 2, 1936 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 421 to 423	3-20
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 424 to 440	21-76
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060	77-519

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	520-572, 579
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
Minutes	573
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
(i) 2nd Report	573
(ii) Study Visit	573
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	
5th to 8th Reports	574
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE	
Statement	574
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES	
1st and 2nd Reports	574-575
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	
Statements	575-576
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE	
81st Report	576
STATEMENT BY MINISTER	
Omission of sprinter Dutee Chand from Commonwealth Games Squad	
Shri Sarbananda Sonowal	577-578
MOTION RE: TENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	580
CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2014	581

MATTERS UNDER RULE 377

582-594

- (i) Need to ensure transparency and compliance of rules in works outsourced by the Central Coalfields Limited and the Bharat Coking Coal Limited in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand.

Shri Ravindra Kumar Pandey

582

- (ii) Need to provide Income tax exemptions to cooperative banks

Shri Chand Nath

583

- (iii) Need to operate direct international flights from Jaipur Airport, Rajasthan to Bangkok, Singapore, Hongkong, Shanghai and Kualalumpur

Shri Ramacharan Bohara

584

- (iv) Need to undertake development of National Highway No. 147 between Sarkhej and Gandhinagar in Gujarat

Dr. Kirit P. Solanki

585

- (v) Need to formulate and implement a scheme to provide clean drinking water to people in Rajasthan

Shri Om Birla

586

- (vi) Need to take steps to curb infiltration into the country from India-Bangladesh border

Shri Ramesh Bidhuri

587-588

- (vii) Need to start operation of passenger flights from Sabeyan Airport in Gopalganj district, Bihar

Shri Om Prakash Yadav 588

- (viii) Need to set up a Postgraduate Institute of Oncological Sciences and Research in Kerala

Shri Mullappally Ramchandran 589

- (ix) Need to declare Narajole Rajbari, a historical palace in West Bengal as a heritage building and take measures for the conservation of the same with adequate financial provisions

Shrimati Aparupa Poddar 590

- (x) Need to convert National Highway No. 6 between Kharagpur and Sambhalpur into four lane and also to construct a road over-bridge and a bypass road in Keonjhar city

Shrimati Sakuntala Laguri 591

- (xi) Need for speedy implementation of the National Food Security Act in the Union Territory of Lakshadweep

Mohammed Faizal 591

- (xii) Need to expedite the construction of National Highway No. 54 (E).

Shri Radheshyam Biswas 592

- (xiii) Need to release all the prisoners from jails who have completed their sentence particularly in Punjab

Shri Bhagwant Mann 593

- (xiv) Need to review the High Range Mountain Landscape Project covering Idukki, Ernakulam and Thrissur districts of Kerala

Adv. Joice George 594

VALEDICTORY REFERENCE 596-598

NATIONAL SONG 598

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 599

Member-wise Index to Unstarred Questions 600-605

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 606

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 607

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K. H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 23, 2014/Pausa 2, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): Thank you very much, Madam. This is my first question in this august House. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have told him that there will be no suspension of Question Hour.

... (*Interruptions*)

SHRI DEVUSINH CHAUHAN : I am very much thankful to you that at least on the last day of the Session, I have got a chance to put the question. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of adjournment motion and suspension of Question Hour from Shri Rajesh Ranjan and Shri P. Karunakaran. I have disallowed the notices.

... (*Interruptions*)

SHRI DEVUSINH CHAUHAN : Thank you very much, Madam.

My humble request to my Opposition Members is this. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not say anything now.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, कल से हम जो यह एजीटेशन कर रहे थे कि कंवर्जन के इश्यू पर प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देने वाले थे।...(*व्यवधान*) उसके लिए हम सभी का यही मुद्दा था और घर वापसी का जो हर जगह कार्यक्रम हो रहा है,...(*व्यवधान*) उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट हम चाहते हैं और ...(*व्यवधान*) इसीलिए तो हम कल से एजीटेशन कर रहे हैं।
...(*व्यवधान*)

11.03 hrs

At this stage Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

11.03 ½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER :Q. No. 421, Shri Devusinh Chauhan.

(Q. 421)

श्री देवुसिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ...(व्यवधान) भारत की जी.डी.पी. में कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।...(व्यवधान) लेकिन पिछले सालों में भारत की कल्टीवेटेड जमीन आज सेलीनिटी टेस्ट के कारण पूअर फर्टिलिटी में आ गई है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि आज भारत के बीस राज्यों के 173 जिलों में पूअर फर्टिलिटी के कारण यह जमीन खराब हो रही है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके कारण इस जमीन को फिर से उपजाऊ एवं विकसित बनाया जा सके?...(व्यवधान) यदि यह योजना बनाई है तो भारत के किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाती है और पहले कितनी सब्सिडी दी जाती थी?...(व्यवधान)

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा उस योजना के आधार पर अलकली भूमि रिक्लेम करने के लिए लावण्य भूमि पर प्रति हेक्टेअर 11000 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी।...(व्यवधान) एसिड वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेअर 2500 रुपये सरकार दे रही थी। यह 30 मार्च, 2013 तक दी जाती थी।...(व्यवधान) बाद में अप्रैल, 2014 से लावण्य भूमि पर 25,000 रुपये पर हेक्टेअर और एसिड वाली भूमि के लिए पर हेक्टेअर 3000 रुपये दिये जा रहे थे।...(व्यवधान)

श्री देवुसिंह चौहान : मैडम, मेरा सैकिंड सप्लीमेंटरी यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने किसी मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया था और समिति की रिपोर्ट आने के बाद सब्सिडी की रकम बढ़ाई गई है या नहीं?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006-2007 में केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था, उस समिति के अध्यक्ष, गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र भाई थे। 2008 में उस कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर हम प्रति हेक्टेअर 11 हजार रुपये सब्सिडी दे रहे थे। उसके बाद अप्रैल, 2014 से कृषि मिशन के आधार पर उसे बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये पर हेक्टेअर लवणीय जमीन पर दे रहे हैं और एसिड वाली भूमि के लिए 3 हजार रुपये पर हेक्टेअर देने का सरकार ने निर्णय किया है।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने डाटा पूरा दे दिया है कि सॉइल टैस्टिंग लेबोरेटरीज बहुत जगह हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में यह देखने में आता है कि कहीं वैज्ञानिक नहीं हैं, कहीं जांच की व्यवस्था नहीं है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी तक कितने प्रदेशों में और कितने इलाकों में सॉइल टैस्टिंग हुई है और भविष्य में क्या सरकार की कोई सॉइल टैस्टिंग की योजना है, जिससे कि हर ग्रामीण को सॉइल टैस्टिंग सुविधा मिल सके और वह कम से कम फर्टीलाइजर का उपयोग करके देश का और अपना भला कर सके।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : मैडम, 2007-2008 से मार्च 2013 तक 1206 सॉइल टैस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं और 110 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने इस मद में दिये। हमारी नई सरकार ने इस वर्ष 30 करोड़ रुपये सॉइल टैस्टिंग लैबोरेटरीज के लिए और 56 करोड़ रुपये मोबाइल लैबोरेटरीज के लिए, यानी कुल मिलाकर 86 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि इससे पहले भारत सरकार ने मिशन मोड में किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड देने की कोई योजना नहीं चलाई।

जहां तक सॉइल हैल्थ कार्ड का सवाल है, सरकार की अलग से कोई योजना पहले से नहीं चल रही थी। राज्य सरकारें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से राशि निकालकर या अन्य मदों से यह काम करती थीं। अभी सरकार ने पूरे देश में 14 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड में काम करना प्रारम्भ किया है और इसके लिए 568 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। इसके तहत अगले तीन वर्षों तक देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड मुहैया कराये जायेंगे तथा प्रति तीन वर्षों में उनका नवीनीकरण होगा।

SHRI P.R. SUNDARAM : Thank you, Speaker Madam. As per the hon. Minister's statement, in Tamil Nadu around 3,68,015 hectares of cultivable land and 13,231 hectare of coastal saline soil has been affected due to salt and saline respectively. I would like to know from the hon. Minister the measures taken to develop this land and how much financial assistance has been allocated to the State of Tamil Nadu. Our hon. Puratchi Thalaivi Amma had implemented a Wasteland Development Programme and had allotted fund for this every year. The Union Government also should similarly allocate more funds to develop this salt and saline land.

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की है, नई योजना के आधार पर 2014 के बाद पच्चीस हजार रुपये पर हैक्टेअर किसानों के लिए दिया जाता है। उस मद में, खासकर उस जमीन में क्षेत्रीय मृदाओं के आधार पर जिप्सम डालकर उस जमीन को नवसाध्य करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री भगवंत मान : महोदया, पंजाब की धरती खेती के लिए जानी जाती है, पंजाब ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन आजकल पंजाब की धरती की उपजाऊ शक्ति रासायनिक खादों और पैस्टिसाइड्स की वजह से खत्म हो रही है। हमारे यहां का पानी सिंचाई के योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि उसमें यूरेनियम पाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पंजाब के मामले में कुछ स्पेशल पैकेज देने की बात हो रही है, ताकि पंजाब की धरती और पंजाब के किसानों को बचाया जा सके?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, एम.एम.ए. योजना के तहत, कृषि के व्यापक प्रबंधन योजना के तहत मार्च, 2013 तक सभी राज्यों की इसमें सहायता की जाती थी। हमारे मंत्री ने पहले भी बताया कि उस सहायता की राशि 11 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर थी, लेकिन अप्रैल, 2013 से ले कर मार्च 2014 तक यह योजना बंद कर दी गई थी। नई सरकार ने इस योजना को अब एन.एम.एस.ए. (राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन) के तहत शुरू किया है। पहले जो सहायता राशि 11 हम हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तहत देते थे, उसको बढ़ा कर 25 हजार प्रति हैक्टेयर कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

(Q. 422)

श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदया, एम.आई.एस. वह स्कीम है, जो किसानों को ऐसी नाशवान वस्तु, फल-सब्जी, जो लागत मूल्य से कम हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों को सस्ती दर पर अपनी पैदावार बेचनी पड़ती है। एम.आई.एस. स्कीम के तहत उसको खरीदने का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से होता है। प्राइज़ सपोर्ट स्कीम के माध्यम से 24 वस्तुएं केंद्र सरकार सौ प्रतिशत असीमित मात्रा में खरीदती है, सौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देती है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि एम.आई.एस. योजना के तहत भी क्या सरकार ऐसी फल सब्जियों को सौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति करके असीमित मात्रा में खरीदने की कोई योजना बना सकती है, ताकि हम देश के किसानों को सुरक्षित कर सकें?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इस संबंध में अभी हमारी योजना है कि केंद्र सरकार 50 प्रतिशत और राज्य सरकार 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करती है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत भारत सरकार करती है और राज्य सरकार 25 प्रतिशत करती है। अभी इस संबंध में कोई नई योजना नहीं बनी है।

श्री ओम बिरला : महोदया, माननीय मंत्री महोदय को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस एम.आई.एस. योजना के तहत 50 प्रतिशत पैसा, जो केंद्र सरकार को राज्यों को देना पड़ता है, वह कहीं-कहीं एक-दो साल से नहीं दिया गया है। पिछली सरकार ने राज्य सरकारों को पैसा नहीं दिया, जिसके कारण एम.आई.एस. योजना के तहत 19 राज्यों में से केवल 9 राज्यों ने खरीद की है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस एम.आई.एस. योजना के तहत सौ प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि और उसके साथ जो 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का होता है, वह तुरंत प्रभाव से देने की योजना बनाएं। अभी कृषि मंत्रालय वित्त मंत्रालय को फाइल भेजता है, जिसमें दो-दो साल लग जाते हैं। मंत्री जी, मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसको टाइम शैड्यूल में डाल सकते हैं ताकि क्षतिपूर्ति का 50 पर्सेंट पैसा इतने समय तक राज्य सरकारों के पास पहुंच जाए?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि 6 राज्यों ने इस काम को किया है। राज्य प्रस्ताव बना कर भेजते हैं, खरीद वे स्वयं करते हैं और हम उसकी मंजूरी देते हैं। जो क्षति होती है, हम उसका आंकलन करते हैं और हम 50 प्रतिशत राशि देते हैं। यदि मुनाफा होता है तो वह पैसा राज्य सरकार का होता है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे बाजार हस्तक्षेप योजना, एम.आई.एस. है, जिसकी चर्चा अभी हमारे दूसरे साथी ने की है, मंत्री जी ने बताया है कि छह राज्य इसका आंशिक रूप से लाभ ले रहे हैं। यह देश बहुत बड़ा है। देश में सर्वाधिक कृषि

विकास दर वाले जो राज्य हैं, उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ये राज्य इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना आज तक किसानों के लिए, कृषि के लिए प्रभावी नहीं हुई है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे दलहन और तिलहन आदि की खरीद के लिए शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है, क्या उसी प्रकार से सब्जियों और फलों के लिए भी सरकार क्षतिपूर्ति करेगी?

महोदया, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक हिस्सा यह भी है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में कई राज्यों ने लिखा भी है और जो संसदीय समिति है, उसके द्वारा भी अनुशांसा करके सरकार को इस योजना को बन्द करने की संस्तुति भेजी गयी थी, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? क्या इस योजना को बदलकर मंत्री जी कोई ऐसी योजना लाएंगे, जिससे किसानों का हित हो, कृषि का हित हो, फलों और सब्जियों में जो बहुत बड़ी क्षति किसानों को होती है, उससे उन्हें बचाया जा सके?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने बताया कि 6 राज्यों ने इस प्रकार की खरीद की है, लेकिन 19 राज्यों ने प्रस्ताव भेजे थे। यह राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रस्ताव भेजें। जितने प्रस्ताव आए हैं, हमने सबको मंजूरी दी है। 6 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, बाकी राज्यों ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। उस योजना को बन्द करने का हमारा कोई विचार नहीं है। फल-सब्जियों की मार्केटिंग के लिए, उनका उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने कई नई योजनाओं का निर्माण किया है और उन्हें हम चालू करने वाले हैं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : महोदया, कृषि और बागवानी चीजों की खरीदी करने के लिए केन्द्र सरकार के कृषि और सहयोग कार्यालय के माध्यम से एक योजना पर अमल किया जा रहा है। जो उत्तर आया है, उसमें महाराष्ट्र राज्य में बागवानी की चीजों की खरीदी करने के लिए जो योजना है, उस पर कुछ अमल हुआ है, ऐसा मालूम नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में काजू और आम जैसे फल आते हैं, उनकी खरीदी करने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र राज्य को कुछ ऐसे आदेश दें। साथ ही साथ धान खरीदी करने की जो योजना है, वह इस वर्ष अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्या उसको तुरन्त शुरू करने का आदेश केन्द्र सरकार देने वाली है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, जहाँ तक बाजार हस्तक्षेप योजना का सवाल है, राज्य सरकारें प्रस्ताव देती हैं और अभी तक जितने प्रस्ताव जिन-जिन राज्यों से आए हैं, उनको हमने मंजूर किया है। महाराष्ट्र से भी

यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा, तो हम उसे मंजूर करेंगे। जहाँ तक धान खरीद का सवाल है, इसका मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, मंत्री जी ने जवाब दिया कि नार्थ-ईस्ट को छोड़कर 50-50 परसेंट हिस्से के तहत अदर स्टेट्स के अन्दर प्रोक्योरमेंट की जाती है और जो जवाब मंत्री जी द्वारा दिया गया है, इसके अन्दर सेब और पाइन एप्पल जैसे फ्रूट्स भी प्रोक्योर किए जाते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा और पंजाब की धरती पर अधिकतम सन्तरे और मौसमी की खेती होती है और हर साल ज्यादा ठंड के कारण, प्रोक्योरमेंट न होने के कारण अधिकतम जो फ्रूट की पैदावार है, वह बर्बाद हो जाती है। अगर सरकार की ओर से प्रस्ताव आएगा तो क्या केन्द्र सरकार सन्तरे को भी प्रोक्योर करने के लिए तैयार है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, जो रसा वान वृत्ति के फल हैं, यदि राज्य समझता है कि इसका मूल्य किसान को ठीक से नहीं मिल रहा है और यदि वह प्रस्ताव भेजेगा तो निश्चित रूप से हम उस पर अमल करेंगे।

श्री नाना पटोले : महोदया, सरकार ने किसानों की कृषि वस्तुओं को उचित दाम उपलब्ध कराने हेतु और ग्राहकों को किफायती दर से वस्तु उपलब्ध होने के सम्बन्ध में वर्ष 2003 में मंजूर किए मॉडल एक्ट कानून का सभी राज्यों द्वारा सख्ती से पालन करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने निर्देश देने के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, एक तो मंडी कानून के सम्बन्ध में हमने राज्यों को सुझाव दिया था और 12 राज्यों ने उस पर अमल भी किया है। किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए हमने दिल्ली में किसान मंडी की स्थापना की है और हमने राज्यों से भी आग्रह किया है, चूँकि यह राज्य का विषय है कि वे इस प्रकार की मंडियों की स्थापना करें। इसके लिए हम उनको तकनीकी सहयोग देंगे।

माननीय अध्यक्ष : देखिये, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह वरिष्ठजन और उनकी सुरक्षा से संबंधित है।

Please go to your seats. Q. No. 423.

(Q. 423)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस अवस्था में एक दिन सबको जाना है। जिनके मन में असुरक्षा का भाव है, उनके लिए भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पुरातन काल से ही हमने माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया है। 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' का भाव हम लोगों के मन में है, लेकिन इस कलयुग में कई संतानें ऐसी हैं जो अपने माता-पिता की सुरक्षा नहीं कर पातीं। इसलिए केन्द्र सरकार में माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी एक ऐसी योजना लाए, कि जहाँ पहले वरिष्ठों को अपने ज़िन्दा रहने का सबूत देने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनके लिए जीवन प्रमाण योजना शुरू की, जो हर बुजुर्ग के दिल को छू गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएँ लाई है, लेकिन क्या अलग से सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए, हैल्पलाइन के लिए और विशेष प्रकार से बुजुर्गों के लिए हैल्थ पॉलिसी लाने की सरकार की कोई योजना है? ...**(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू) : मैडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि सुरक्षा के मामले में गृह मंत्रालय से दो बार एडवाइज़री जारी की गई है। उसका मुख्य बिन्दु मैं बताना चाहता हूँ। इसमें 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत यहाँ से जो डायरेक्टिव और एडवाइज़री जारी की है, उसमें जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हैल्पलाइन एस्टैबलिश होनी चाहिए, उसको भी एडवाइज़री में शामिल किया है। साथ-साथ सिक्योरिटी सैल और Identification of senior citizens, safety and security and elimination of all forms of neglect, abuse and violence against all persons, यह सारा एडवाइज़री में इनक्लूड किया गया है। ...**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : यदि आपको कुछ कहना है तो इनको सीट पर जाना पड़ेगा। यह क्या है कि ये भी यहाँ खड़े रहेंगे और आप भी बोलना चाहेंगे। ऐसा नहीं होता है। इनको सीट पर जाना पड़ेगा।

...**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप गुस्सा मत करना। इनको भी तो सीट पर जाने के लिए बोलो। ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्य, प्लीज़, कम से कम पीछे चले जाइए। ऐसे उनके सामने खड़े रहकर कैसे काम चलेगा? You have to move to your seats.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लाना नहीं चाहते हो, क्योंकि I have disallowed all these things like adjournment. आप चाहो तो रोज़ बोलो, ऐसा नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरी रिक्वेस्ट है कि आज सदन का आखिरी दिन है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कंटीन्यू हो। तो आप हाउस एडजर्न करके 12 बजे आकर धन्यवाद देकर समाप्त कीजिए। नहीं तो यह हमेशा होता रहा है, लेकिन आखिरी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी हाउस एडजर्न करके 12 बजे आकर कार्यक्रम कर दीजिए। That is a good way. ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let us complete this Question.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से प्रश्न है कि ऐसे कई वरिष्ठ लोग जो आज गुमशुदगी के शिकार हैं और जिनके मन में असुरक्षा का भाव है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या निःशुल्क या रियायती दर पर ऐसी कोई डिवाइस या ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी जिससे बुजुर्ग आपात स्थिति में लोकल पुलिस थाने में जाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें? ...(व्यवधान)

11.24 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Satabdi Roy and some other hon. Members came and sat on the floor near the Table.

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी दोहराया था कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगर सीनियर सिटिज़ंस के खिलाफ कोई भी अन्याय होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए एडवाइज़री जारी की गई है। उसके अलावा भारत सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हैल्थ मिनिस्ट्री का एक कार्यक्रम है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का भी एक कार्यक्रम है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के तहत जो कार्यक्रम है, उसमें वृद्धाश्रम में जो लोग हैं, उनके लिए भी स्पैसिफिकली टार्गेट किया गया है। ...(व्यवधान)

SHRI V. ELUMALAI : Madam Speaker, though there is a National Crime Records Bureau, the problem of crime against senior citizens is sought to be dismissed as a State subject. It is unfortunate that the collection of data has started only in January, 2014. However, it is better late than never... (Interruptions)

I would like to know whether the Government would come forward to evolve a National Policy to ensure safety and security of our senior citizens who are the repositories of our traditional wisdom... (*Interruptions*)

Will the Government come forward to set it up at every district level which can be taken to every village level and at Primary Health Centre level so that elderly people get medical care, day care and recreation facilities? ... (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJJU: Madam, Article 41 of the Indian Constitution clearly makes a provision and the Directive Principles of State Policy ensure the safety and security of old people... (*Interruptions*)

There are various provisions under the law which I would not like to quote but since it is a State subject, and as per the directions and advisories of the Ministry of Home Affairs, it is the duty of the State Governments as well as the Central Government to ensure that old age people are well protected. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 Noon.

11.27 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled after at One Minute past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri M. Venkaiah Naidu, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) Review by the Government of the working of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (2) Annual Report of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1605/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of Shri Nitin Gadkari, I beg to lay on the Table A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 36 of 2014) (Performance Audit)-Implementation of Public Private Partnership Projects in National Highways Authority of India, Ministry of Road Transport and

Highways, for the year ended March, 2013 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 1606/16/14]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2011-2012.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1607/16/14]

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 1608/16/14]

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 1609/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): On behalf of Shri Jagat Prakash Nadda, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1610/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1611/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1612/16/14]

(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Arogya Nidhi, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 1613/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1614/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1615/16/14]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1616/16/14]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1617/16/14]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1618/16/14]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1619/16/14]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1620/16/14]

(12) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1621/16/14]

(b) (i) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1622/16/14]

(13) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years, mentioned therein:-

S.No. Name of the Institutions Accounting Year(s)

1. Medical Council of India, Delhi, 2013-14
2. National Academy of Medical Sciences, Delhi, 2013-14
3. Dental Council of India, New Delhi, 2013-14
4. JIPMER, Puducherry, 2013-14
5. Post graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, 2013-14

6. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, 2013-14
7. All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, 2013-14
8. All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, 2013-14
9. All India Institute of Medical Sciences, Raipur, 2013-14
10. All India Institute of Medical Sciences, Patna, 2013-14
11. All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, 2013-14
12. All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, 2013-14
13. Indian Red Cross Society, New Delhi, 2012-13 & 2013-14
14. Food Safety & Standard Authority Of India, New Delhi, 2013-14
15. Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, 2013-14
16. CNCI, Kolkata, 2013-14
17. Pharmacy Council of India, New Delhi, 2013-14
18. Indian Council of Medical Research, New Delhi, 2013-14

[Placed in Library, See No. LT 1623/16/14]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): अध्यक्ष जी, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ -

- (1) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (2) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1624/16/14]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 1625/16/14]

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Rohtak, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management, Rohtak, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1626/16/14]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1627/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aryabhata Research Institute of Observational Sciences, Nainital, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aryabhata Research Institute of Observational Sciences, Nainital, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1628/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1629/16/14]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1630/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agharkar Research Institute, Pune, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Agharkar Research Institute, Pune, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1631/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1632/16/14]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Innovation Foundation-India, Ahmedabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Innovation Foundation-India, Ahmedabad, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1633/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1634/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Amendment Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 7-3/2003-CCH(PT.) in weekly Gazette of India dated 18th July, 2014 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1635/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1636/16/14]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1637/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1638/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1639/16/14]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1640/16/14]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1641/16/14]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1642/16/14]

(10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1643/16/14]

(11) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited and the Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 1644/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL):

I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 883(E) in Gazette of India dated 11th December, 2014 issued under Section 29 of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1645/16/14]

(2) A copy of the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. 23/47/2014-R&R (Vol. III) in Gazette of India dated 3rd December, 2014 under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

[Placed in Library, See No. LT 1646/16/14]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

- (1) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 1647/16/14]
- (2) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 1648/16/14]
- (3) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 1649/16/14]

HON. SPEAKER: Shrimati Nirmala Sitharaman – not present.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): On behalf of Shri Mukhtar Abbas Naqvi, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the National Minorities Development and Finance Corporation, Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the National Minorities Development and Finance Corporation, Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1650/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Waqf Council, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Waqf Council, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1651/16/14]

HON. SPEAKER: Shri Mohanbhai Kalayanjibhai Kundariya – not present.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1657/16/14]

(ख)(एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1658/16/14]

(ग)(एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

- (दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1659/14]

- (घ)(एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1660/16/14]

- (ड.)(एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1661/16/14]

- (च)(एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1662/16/14]

- (छ)(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1663/16/14]

- (ज)(एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1664/16/14]

(झ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1665/16/14]

(2) (एक) इस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 1666/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the NEPA Limited, Neapanagar, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the NEPA Limited, Neapanagar, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1667/16/14]

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1668/16/14]

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1669/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1670/16/14]

(2) (i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1671/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Karnataka Sarva Shikshana Abhiyan Samithi, Bangalore, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Karnataka Sarva Shikshana Abhiyan Samithi, Bangalore, for the year 2012-2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1672/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Kavarrati, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Kavarrati, for the year 2012-2013.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 1673/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1674/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Council of Elementary Education, Gandhinagar, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Council of Elementary Education, Gandhinagar, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1675/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1676/16/14]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

- (i) S.O. 2257(E) published in Gazette of India dated 8th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 17 in the State of Kerala.
- (ii) S.O. 2684(E) published in Gazette of India dated 20th October, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 346(E) dated 14th February, 2011.
- (iii) S.O. 2385(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 17 in the State of Kerala.
- (iv) S.O. 1586(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Hisar-Dabwali Section) in the State of Haryana.
- (v) S.O. 1983(E) published in Gazette of India dated 1st August, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Hisar-Dabwali Section) in the State of Haryana.
- (vi) S.O. 3713(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 23 (Biramitrapur-Barkot Section) in the State of Odisha.
- (vii) S.O. 3715(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Bahargora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.

- (viii) S.O. 3716(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Bahargora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (ix) S.O. 3687(E) published in Gazette of India dated 17th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Bahargora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (x) S.O. 1288(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.
- (xi) S.O. 453(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.
- (xii) S.O. 1287(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 (Rajauli-Nawada-Biharsharif-Bakhtiyarpur Section) in the State of Bihar.
- (xiii) S.O. 1398(E) published in Gazette of India dated 28th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 104 (Banjariya to Sheohar Section) in the State of Bihar.
- (xiv) S.O. 454(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway

No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.

- (xv) S.O. 251(E) published in Gazette of India dated 27th January, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 in the State of Jharkhand.
- (xvi) S.O. 156(E) published in Gazette of India dated 21st January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.
- (xvii) S.O. 3884(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 83 (Patna-Gaya-Dobhi Section) in the State of Bihar.
- (xviii) S.O. 3215(E) published in Gazette of India dated 22nd October, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 104 (Chakiya Banjhula to Banjariya Section) in the State of Bihar.
- (xix) S.O. 3528(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Barwa Adda to Barakar Section) in the State of Jharkhand.
- (xx) S.O. 3701(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Hazaribag-Ranchi Section) in the State of Jharkhand.

- (xxi) S.O. 3720(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 in the State of Jharkhand.
- (xxii) S.O. 87(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Rargaon-Jamshedpur Section) in the State of Jharkhand.
- (xxiii) S.O. 636(E) published in Gazette of India dated 4th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.
- (xxiv) S.O. 3550(E) published in Gazette of India dated 2nd December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xxv) S.O. 3551(E) published in Gazette of India dated 2nd December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xxvi) S.O. 3703(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xxvii) S.O. 3706(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Visakhapatnam-Bhubanesar Section) and (Bhubaneswar-Kolkata Section) in the State of Odisha.

- (xxviii) S.O. 1585(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 102 (Chhapra-Rewaghat-Muzaffarpur Section) in the State of Bihar.
- (xxix) S.O. 26(E) published in Gazette of India dated 6th January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad to Barwa-Adda Section) in the State of Bihar.
- (xxx) S.O. 906(E) published in Gazette of India dated 27th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 34 in the State of West Bengal.
- (xxxii) S.O. 1298(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Kharagpur to Chichira Section) in the State of West Bengal.
- (xxxiii) S.O. 1285(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Kharagpur to Chichira Section) in the State of West Bengal.
- (xxxiiii) S.O. 1231(E) published in Gazette of India dated 8th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 28A (Piprakothe-Raxaul Section) in the State of Bihar.
- (xxxv) S.O. 909(E) published in Gazette of India dated 27th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad to Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.

- (xxxv) S.O. 1026(E) published in Gazette of India dated 3rd April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 23 (Chas-Bokaro-Gola-Ramgarh Section) in the State of Jharkhand.
- (xxxvi) S.O. 1484(E) published in Gazette of India dated 9th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Barhi-Hazaribag Section) in the State of Jharkhand.
- (xxxvii) S.O. 741(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.
- (xxxviii) S.O. 1581(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 34 (Raiganj-Dolkhola Section) in the State of West Bengal.
- (xxxix) S.O. 235(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Mahulia to Baharagora Section) and Highway No. 6 (Baharagora-Chichira Section) in the State of Jharkhand.
- (xl) S.O. 236(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Mahulia to Baharagora Section) and Highway No. 6 (Baharagora-Chichira Section) in the State of Jharkhand.
- (xli) S.O. 1130(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 28 (Muzaffarpur-Barauni Section) in the State of Bihar.
- (xlii) S.O. 2584(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2014, authorising the Sub-Divisional Officer (Civil), Theog, District-Shimla, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 22 (New NH-5) in the State of Himachal Pradesh.
- (xliii) S.O. 2585(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2014, authorising the Sub-Divisional Officer (Civil) Nalagarh, District-Solan, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21A (New NH-105) in the State of Himachal Pradesh.
- (xliv) S.O. 2586(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2014, authorising the Sub-Divisional Officer, Panchkula, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21A (New NH-105) in the State of Haryana.
- (xlv) S.O. 439(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, authorising the District Land Acquisition Officer, District-Saraikela, Jharkhand, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 32 (Purulia-Balarampur-Chandil Section) in the State of Jharkhand.
- (xlvi) S.O. 440(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, authorising the Additional District Land Magistrate (Land Acquisition), District-Purulia, West Bengal, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 32

(Purulia-Balarampur-Chandil Section) in the State of West Bengal.

- (xlvii) S.O. 780(E) published in Gazette of India dated 14th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (Jabalpur-Mandla-Chilpi Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xlviii) S.O. 1110(E) published in Gazette of India dated 22nd April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 200 (Kanaktora-Jharsuguda Section) in the State of Odisha.
- (xlix) S.O. 1150(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New NH-30) (M.P. Border Chilpi-Simga Section) in the State of Chhattisgarh.
- (l) S.O. 1163(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Biaora-MP/Rajasthan Border Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (li) S.O. 1160(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 365 (Tanamcherla-Mallampally Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (lii) S.O. 1159(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 200 (Bilaspur-Urdawal Section) in the State of Chhattisgarh.
- (lii) S.O. 1214(E) published in Gazette of India dated 6th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Jodhpur-Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (liv) S.O. 1228(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Jodhpur-Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (lv) S.O. 1227(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 89 (Nagaur Bypass) (Nagaur-Bikaner Section) in the State of Rajasthan.
- (lvi) S.O. 1274(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Jodhpur-Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (lvii) S.O. 1349(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 (Sikar-Bikaner Section) in the State of Rajasthan.
- (lviii) S.O. 1365(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 27 (Mangawn-Chakghat Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (lix) S.O. 1476(E) published in Gazette of India dated 6th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 8 (Baghana-Gomti Choraha Section) in the State of Rajasthan.
- (lx) S.O. 1509(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New NH-30) (M.P. Border Chilpi-Simga Section) in the State of Chhattisgarh.
- (lxi) S.O. 1529(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Jodhpur-Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (lxii) S.O. 1226(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Rewa-Hanumana Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (lxiii) S.O. 1141(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 656 (Penchalakona to Yerpedu Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (lxiv) S.O.1142(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2014, making certain further amendments in the Notification No. S.O.458(E) dated 18th February, 2014.
- (lxv) S.O. 1164(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2014, entrusting Highway No. 65 in the State of Rajasthan to National Highways Authority of India.
- (lxvi) S.O. 1162(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the

competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh.

- (lxvii) S.O.1165(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2014, making certain further amendments in the Notification No. S.O.335(E) dated 14th February, 2011.
- (lxviii) S.O. 1213(E) published in Gazette of India dated 6th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Jodhpur-Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (lxix) S.O. 1346(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2014, making certain further amendments in the Notification No. S.O.3509(E) dated 27th November, 2013.
- (lxx) S.O. 1347(E) published in Gazette of India dated 6th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 28C (New NH-927) in the State of Uttar Pradesh.
- (lxxi) S.O. 1348(E) published in Gazette of India dated 6th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 28C (New NH-927) in the State of Uttar Pradesh.
- (lxxii) S.O. 1426(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2014, authorising the Special Land Acquisition Officer, National Highway, Bangalore, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 206 in the State of Karnataka.
- (lxxiii) S.O. 1430(E) published in Gazette of India dated 3rd June, 2014, entrusting Highway No. 98 in the State of Rajasthan to National Highways Authority of India.

- (lxxiv) S.O. 1573(E) published in Gazette of India dated 20th June, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh.
- (lxxv) S.O. 1568(E) published in Gazette of India dated 20th June, 2014, authorising the Joint Collector, Guntur, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh.
- (lxxvi) S.O. 2345(E) published in Gazette of India dated 15th September, 2014, entrusting Highway numbers, mentioned therein, in the State of West Bengal to National Highways Authority of India.
- (lxxvii) S.O. 2346(E) published in Gazette of India dated 15th September, 2014, entrusting Highway No. 31C in the State of Uttar Pradesh to National Highways Authority of India.
- (lxxviii) S.O. 2440(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, making certain further amendments in the Notification No. S.O.2594(E) dated 17th November, 2011.
- (lxxix) S.O. 2494(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2014, entrusting Highway No. 86 (Kanpur-Kabrai Section) in the State of Uttar Pradesh to National Highways Authority of India.
- (lxxx) S.O. 2506(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2014, entrusting Highway No. 211 (Solapur-Yedeshi-Aurangabad-Dhule Section) in the State of Maharashtra to National Highways Authority of India.
- (lxxxii) S.O. 2441(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, entrusting Highway No. 21 (Kiratpur-Ner Chowk

- Section) in the State of Himachal Pradesh to National Highways Authority of India.
- (lxxxii) S.O. 2443(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, entrusting Highway No. 8 (Gomti Ka Chauraha-Udaipur Section) in the State of Rajasthan to National Highways Authority of India.
- (lxxxiii) S.O. 2442(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, rescinding Notification No. S.O.2304(E) dated 29th September, 2008.
- (lxxxiv) S.O. 2645(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2014, making certain further amendments in the Notification No. S.O.896(E) dated 26th March, 2014.
- (lxxxv) S.O. 2736(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2014, entrusting Highway No. 26 (Jhansi to Lakhnadon Section) in the State of Uttar Pradesh to National Highways Authority of India.
- (lxxxvi) S.O. 2768(E) published in Gazette of India dated 27th October, 2014, entrusting Highway No. 9 (Solapur-Maharashtra/Karnataka Border Section) in the State of Maharashtra to National Highways Authority of India.
- (lxxxvii) S.O. 2646(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2014, entrusting Highway No. 57 (Purnea-Fobesganj-Jhanjharpur-Darbhanga-Muzaffarpur Section) in the State of Bihar to National Highways Authority of India.
- (lxxxviii) S.O. 2737(E) published in Gazette of India dated the 21st October, 2014, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 232 (Benda Ghat toll Plaza) in the State of Uttar Pradesh.

- (lxxxix) S.O. 2739(E) published in Gazette of India dated the 21st October, 2014, authorising Chief Engineer (National Highways), Karnataka, Public Works Department to collect fee on mechanical vehicles for the use of the Bridge across Hagari River at Paramadevanahalli of National Highway No. 63 (Ankola-Gooty Section) in the State of Karnataka.
- (xc) S.O. 2808(E) published in Gazette of India dated 3rd November, 2014, entrusting Highway No. 1 (Delhi Haryana Border to Haryana/Punjab Border) in the State of Haryana to National Highways Authority of India.
- (xci) S.O. 2703(E) published in Gazette of India dated 20th October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 226 (Thanjavur-Manamadurai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xcii) S.O. 2437(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 49 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xciii) S.O. 2384(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 45C (Vikravandi-Kumbakonam-Thanjavur Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xciv) S.O. 2860(E) published in Gazette of India dated 10th November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Athipalli to Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xcv) S.O. 2462(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 226 (Thanjavur-Manamadurai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xcvi) S.O. 2702(E) published in Gazette of India dated 20th October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 226 (Thanjavur-Manamadurai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xcvii) S.O. 3224(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 95 (Ludhiana to Talwandi Section) in the State of Punjab.
- (xcviii) S.O. 3068(E) published in Gazette of India dated 9th October, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 95 (Ludhiana to Talwandi Section) in the State of Punjab.
- (xcix) S.O. 3040(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Hisar-Dabwali Section) in the State of Haryana.
- (c) S.O. 2953(E) published in Gazette of India dated 30th October, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Hisar-Dabwali Section) in the State of Haryana.
- (ci) S.O. 2786(E) published in Gazette of India dated 14th September, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71 (Rohtak-Jind Section) in the State of Haryana.
- (cii) S.O. 1707(E) published in Gazette of India dated 9th July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

- and operation of National Highway No. 65 (Salasar-Fatehpur-Ambala Section) in the State of Rajasthan.
- (ciii) S.O. 2265(E) published in Gazette of India dated 8th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 123 (Uncha Nagla-Dholpur Section) in the State of Rajasthan.
- (civ) S.O. 1652(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Bikaner-Phalodi Section) in the State of Rajasthan.
- (cv) S.O. 1719(E) published in Gazette of India dated 10th July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.
- (cvi) S.O. 2271(E) published in Gazette of India dated 8th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Junagadh Section) in the State of Gujarat.
- (cvii) S.O. 1678(E) published in Gazette of India dated 2nd July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Bikaner-Phalodi Section) in the State of Rajasthan.
- (cviii) S.O. 2260(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Junagadh Section) in the State of Gujarat.
- (cix) S.O. 1654(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

and operation of National Highway No. 65 (Salasar-Fatehpur-Ambala Section) in the State of Rajasthan.

- (cx) S.O. 1653(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2014, making certain further amendments in the Notification No. S.O.3071(E) dated 8th October, 2013.
- (cxi) S.O. 903(E) published in Gazette of India dated 27th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 in the State of Rajasthan.
- (cxii) S.O. 505(E) published in Gazette of India dated 21st February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Rajgarh Section) in the State of Rajasthan.
- (cxiii) S.O. 434(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Gomati Chouraha to Udaipur Section) in the State of Rajasthan.
- (cxiv) S.O. 504(E) published in Gazette of India dated 21st February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Taranagar Section) in the State of Rajasthan.
- (cxv) S.O. 826(E) published in Gazette of India dated 19th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 148D (Gulabpura-Uniara Section) in the State of Rajasthan.
- (cxvi) S.O. 331(E) published in Gazette of India dated 5th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 148D (Asind Section) in the State of Rajasthan.

- (cxvii) S.O. 1307(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 114 in the State of Rajasthan.
- (cxviii) S.O. 735(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 79 (Kishangarh-Chittorgarh Section) in the State of Rajasthan.
- (cxix) S.O. 975(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 in the State of Rajasthan.
- (cxx) S.O. 1126(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 14 (Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (cxxi) S.O. 1058(E) published in Gazette of India dated 9th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Rajgarh Section) in the State of Rajasthan.
- (cxxii) S.O. 852(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2014, containing corrigendum to the Notification No. S.O.2452(E) dated 13th August, 2013.
- (cxxiii) S.O. 450(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 148D (Hurda Section) in the State of Rajasthan.
- (cxxiv) S.O. 2592(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

- (cxxxv) S.O. 2495(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2014, entrusting the stretches of National Highway No. 125 (Sitarganj-Tanakpur Section) to National Highways Authority of India.
- (cxxxvi) S.O. 2496(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxvii) S.O. 2489(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxviii) S.O. 2497(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2014, entrusting the stretches of National Highway No. 15 (Bikaner-Phalodi Section) to National Highways Authority of India.
- (cxxxix) S.O. 2498(E) published in Gazette of India dated 24th September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxx) S.O. 2474(E) published in Gazette of India dated the 23rd September, 2014, declaring National Highway No. 303 as new National Highway No. 353E.
- (cxxxxi) S.O. 2468(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxii) S.O. 2594(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxiii) S.O. 2595(E) published in Gazette of India dated the 8th October, 2014, declaring National Highway No. 306 as new National Highway No. 776C.

- (cxxxiv) S.O. 2596(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxv) S.O. 2472(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxvi) S.O. 2466(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.
- (cxxxvii) S.O. 2475(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxviii) S.O. 2469(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxxxix) S.O. 2593(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxl) S.O. 2471(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (cxli) S.O. 2787(E) published in Gazette of India dated 29th October, 2014, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 1671(E) dated 2nd July, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1677/16/14]

(3) A copy of the National Highways Fee (Determination of Rates and collection) Second Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 831(E) in Gazette of India dated 21st November, 2014 under sub-section (3) of Section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 1678/16/14]

(4) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988:-

- (i) The Central Motor Vehicles (10th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 409(E) in Gazette of India dated 18th June, 2014.
- (ii) The Central Motor Vehicles (11th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 431(E) in Gazette of India dated 4th July, 2014.
- (iii) The Central Motor Vehicles (12th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 504(E) in Gazette of India dated 16th July, 2014.
- (iv) The Central Motor Vehicles (13th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 534(E) in Gazette of India dated 24th July, 2014.
- (v) The Central Motor Vehicles (14th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 543(E) in Gazette of India dated 30th July, 2014.
- (vii) The Central Motor Vehicles (15th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 602(E) in Gazette of India dated 21st August, 2014.

(vii) The Central Motor Vehicles (16th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 709(E) in Gazette of India dated 8th October, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1679/16/14]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत लिम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई ज्ञापन।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1680/16/14]

- (3) (एक) मोबिलिटी ऐड सेन्टर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मोबिलिटी ऐड सेन्टर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1681/16/14]

- (5) (एक) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1682/16/14]

- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

- (एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1683/16/14]

- (8) (एक) इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1684/16/14]

- (10) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1685/16/14]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1686/16/14]

- (2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप संघ रोध (भारत में आयात का नियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2014 जो 10 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3114 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1687/16/14]

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1688/16/14]

- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1689/16/14]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) :

अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समिति) संशोधन विनियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1690/16/14]

- (2) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेटबंद वस्तु) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 4 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 870 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1691/16/14]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित

पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1692/16/14]

- (2) (एक) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1693/16/14]

- (3) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1694/16/14]

- (4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश, पपुम पारे के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश, पपुम पारे के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1695/16/14]

- (6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1696/16/14]

- (8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम, दक्षिण सिक्किम के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम, दक्षिण सिक्किम के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1697/16/14]

- (10) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1698/16/14]

- (11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कॉचीपुरम के वर्ष 2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कॉचीपुरम के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुयूफैक्चरिंग, कॉचीपुरम के वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1699/16/14]

(12) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय का कांचीपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1700/16/14]

(13) नॉथ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 1701/16/14]

(14) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1702/16/14]

(15) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 1703/16/14]

(16) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1704/16/14]

(17) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 1705/16/14]

(18) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1706/16/14]

(19) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1707/16/14]

(20) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1708/16/14]

(21) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 1709/16/14]

(22) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1710/16/14]

(23) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1711/16/14]

(24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1712/16/14]

(25) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा- परीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष के 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1713/16/14]

(26) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1714/16/14]

(27) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1715/16/14]

(28) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- [Placed in Library, See No. LT 1716/16/14]
- (29) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- [Placed in Library, See No. LT 1717/16/14]
- (30) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- [Placed in Library, See No. LT 1718/16/14]
- (31) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- [Placed in Library, See No. LT 1719/16/14]
- (32) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- [Placed in Library, See No. LT 1720/16/14]
- (33) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1721/16/14]

(34) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1722/16/14]

(35) (एक) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1723/16/14]

(36) (एक) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1724/16/14]

(37) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1725/16/14]

(38) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, बिहार के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, बिहार के वर्ष 2013–2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1726/16/14]

- (39) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1727/16/14]

- (40) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1728/16/14]

- (41) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1729/16/14]

- (42) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2013–14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1730/16/14]

- (42) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2013–14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1731/16/14]

- (44) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1732/16/14]

- (45) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1733/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the India Infrastructure Finance Company Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the India Infrastructure Finance Company Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1734/16/14]

(2) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1735/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1736/16/14]

(4) A copy of the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. CDO/PM/16/SPL/1136 in Gazette of India dated 18th September, 2014 under sub-section (4) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 1737/16/14]

(5) A copy of the Syndicate Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. 261/0089/PD:IRD(O)/R.68 in weekly Gazette of India dated 20th June, 2014 under Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 1738/16/14]

(7) A copy of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Search and Seizure by Authorised Officer) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 812(E) in Gazette of India dated 17th November, 2014 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1739/16/14]

(8) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Medium-term Expenditure Framework, December, 2014, under Section 3(1)(1B) of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 1740/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): On behalf of Shri Babul Supriyo, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1741/16/14]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Kochi Metro Rail Limited, Kochi, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Kochi Metro Rail Limited, Kochi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1742/16/14]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1743/16/14]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा तैयार अध्ययन रिपोर्ट-जून, 2011 ।

(दो) प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के प्रतिवेदन-जून, 2011 के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1744/16/14]

12.03 hrs**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes**

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the First to Fourth sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

12.04 hrs**COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES
(i) 2nd Report**

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष महोदया, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय उपयोजना का कार्यकरण' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(ii) Study Visit

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून, 2013 के दौरान पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई और श्रीनगर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 hrs**COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES****5th to 8th Reports**

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) आश्वासनों (स्वीकृत) को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में छठा प्रतिवेदन।
- (3) आश्वासनों (अस्वीकृत) को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में सातवां प्रतिवेदन।
- (4) आयुष मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

12.06 hrs**STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE****Statement**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के 'जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्राप्स की खेती संभावनाएं और प्रभाव' के बारे में 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई 59वां प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.07 hrs**STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES****1st and 2nd Reports**

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources (2014-2015):-

- (1) First Report of the Standing Committee on Water Resources (2014-15) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
- (2) Second Report of the Standing Committee on Water Resources (2014-2015) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Twenty-first Report (15th Lok Sabha) on 'Review of Ganga Flood Control Commission.'

12.08 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
Statements

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to present the following Action Taken Statements (English and Hindi versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

- (1) Action Taken Statement on Fortieth Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2013-14) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Thirty-fourth Report (15th Lok Sabha) on 'Demands for Grants 2013-14' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).
- (2) Action Taken Statement on Forty-first Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2013-14) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Thirty-fifth Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2013-14) of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).
- (3) Action Taken Statement on Forty-second Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2013-14) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Thirty-third Report

- (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2013-14) of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).
- (4) Action Taken Statement on Forty-third Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2013-14) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Thirty-sixth Report (15th Lok Sabha) on the subject, 'Production and Availability of Pesticides' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).
-

12.09 hrs

**STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
81st Report**

DR. MANOJ RAJORIA (KARAULI-DHOLPUR): I beg to lay on the Table the 81st Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in its Seventy-second report on Alleged Irregularities in the Conduct of Studies using Human Papilloma Virus (HPV) Vaccine by PATH in India.

12.10 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Omission of sprinter Dutee Chand from Commonwealth Games Squad

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): I would like to make a short Statement in this august House in response to Submissions made during 'Zero Hour' on 22nd July, 2014 by Shri B. Mahtab and some others regarding 'Omission of Sprinter Dutee Chand from Commonwealth Games Squad'. I had assured the House that the Government would provide all assistance to Dutee Chand to return to the track. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप ले कर दीजिए।

*SHRI SARBANANDA SONOWAL: In accordance with the assurance given to the House, the Sports Authority of India (SAI) took several concrete steps for challenging the disqualification of Ms. Dutee Chand on the basis of IAAF Regulations on Female Hyperandrogenism before the Court of Arbitration of Sport (CAS), Lausanne, Switzerland. SAI had engaged Mr. Jim Bunting of Davies Ward Phillips & Vineberg LLP of Canada to represent Ms. Dutee Chand at the CAS pro bono. SAI has been providing all supporting costs and will continue to do so until the final decision is delivered by CAS. SAI has also connected with international experts to support Ms. Dutee Chand and strengthen SAI's current position on the discriminatory IAAF Regulations on Female Hyperandrogenism. SAI has also taken steps to reinstate her at the 'Center of Excellence' (COE), NIS Patiala, for her continued training.

* Speech was laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1745/16/14

I am happy to inform the House that in response to Ms. Dutee Chand's prayer that she should be allowed to participate in National events pending the final decision of CAS, the CAS on 18th December, 2014 has provisionally allowed her to compete at National and State level Tournaments. This would enable Ms. Dutee Chand to participate at National level events like the forthcoming National Games-2015 and other competitions organized by the Athletics Federation of India or its affiliated units. Meanwhile, efforts are being taken to expedite a final decision from CAS.

I would like to assure the House that we will leave no stone unturned in our fight for gender equality and non-discrimination in sports. We will continue to support Ms. Dutee Chand in the coming days. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : भर्तृहरि जी, स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न नहीं किए जाते हैं।

12.11 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE – Contd.**

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1652/16/14]

(ख) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1653/16/14]

(3) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1654/16/14]

(4) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1655/16/14]

- (5) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1656/16/14]

12.12 hrs

**MOTION RE: TENTH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to move the following:-

“That this House do agree with the Tenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th December, 2014 subject to modification that the recommendation regarding item at S.No. 2 already disposed of by the House be omitted.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Tenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th December, 2014 subject to modification that the recommendation regarding item at S.No. 2 already disposed of by the House be omitted.”

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष : श्री अरुण जेटली जी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं।

12.13 hrs

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2014*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.”

The motion was adopted.

श्री हरिभाई चौधरी: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section -2, dated 23.12.2014

12.14 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे तुरन्त मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

...(व्यवधान)

(i) Need to ensure transparency and compliance of rules in works outsourced by the Central Coalfields Limited and the Bharat Coking Coal Limited in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल और बीसीसीएल में आउट सोर्सिंग कार्यों में शामिल विभिन्न कंपनियों द्वारा कई नियम विरुद्ध कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कोयले की चोरी, हैवी ब्लास्टिंग, खान कानूनों का उल्लंघन, उक्त कंपनियों के द्वारा उक्त प्रबंधन के मशीनों और उपकरणों का संचालन, ओवरबर्डन की मापी में गड़बड़ी, बैंक फिलिंग नहीं करने के कारण पानी का जलस्तर नीचे गिरना, मजदूरों का काउन्टर पेमेन्ट नहीं करना आदि कार्यों से सरकार के राजस्व में भारी हानि हो रही है और आमजनों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को जमीन का मुआवजा और नौकरी दोनों नहीं मिली। इस संबंध में हमने मामले को सदन में कई बार उठाया, परंतु इस संदर्भ में आज तक समुचित कार्रवाई नहीं की गई।

अतः सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त गड़बड़ियों के निराकरण हेतु एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाए।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to provide Income tax exemptions to cooperative banks

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के तहत वर्ष 2005-06 तक सहकारी साख संस्थाओं को आयकर से मुक्त रखा गया था । परंतु वर्ष 2006-07 में सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष मानकर इनकी आय को आयकर के दायरे में ले लिया गया। सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं । ग्रामीण सहकारी बैंक अपने सदस्यों की मदद से ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं एवं इनके द्वारा अर्जित लाभ भी सदस्यों में विभाजित होता है । अतः आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) को पूर्ववत लागू किए जाने का निवेदन है । मेरा अनुरोध है कि सभी प्रकार के सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत वर्ष 2005-06 तक आयकर में प्राप्त छूट को पूर्ववत बहाल किया जावे ताकि साख ढाँचे को आयकर के रूप में हो रहे नुकसान से बचाया जा सके ।

**(iii) Need to operate direct international flights from Jaipur
Airport, Rajasthan to Bangkok, Singapore, Hongkong,
Shanghai and Kualalumpur**

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): जयपुर शहर वर्ल्ड क्लास एवं स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है । यहाँ जवाहरात उद्योग, रंगाई, छपाई व पर्यटन उद्योग की असीम संभावनाएं हैं । प्राचीन समय से ही जयपुर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है । जयपुर का रत्न व्यवसाय लगभग 300 वर्ष पुराना है । इस व्यवसाय से लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं । जयपुर कलर जैम्स स्टोन कटिंग व पॉलिश के लिए विश्व का सबसे बड़ा केन्द्र है । प्रतिवर्ष बैंकॉक व हांगकांग में चार प्रदर्शिनियों का आयोजन किया जाता है । इसी अवसर पर पाँच से आठ हजार यात्री इन देशों की यात्राएं करते हैं । इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के अन्य देश जापान, चीन आदि में भी आयोजित प्रदर्शिनियों में जयपुर से हजारों जौहरी भाग लेने जाते हैं । यह व्यापार मुख्यतया: बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई एवं कुआलालम्पुर से किया जाता है एवं इन देशों के व्यापारी भी जयपुर से सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ आने में असुविधा महसूस करते हैं । परिणामस्वरूप वहाँ के व्यापारी विश्व के दूसरे देशों में व्यापार के लिए चले जाते हैं एवं हमें राजस्व आय में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा से वंचित होना पड़ता है ।

पर्यटन की दृष्टि से देखे तो सन् 2013 से 3,02,98,150 भारतीय एवं 14,37,162 विदेशी पर्यटक राजस्थान में आये थे उनमें से 11,04,905 भारतीय एवं 5,66,429 विदेशी पर्यटक जयपुर में आये । लेकिन जयपुर से बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई एवं कुआलालम्पुर के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण जयपुर का संपूर्ण जवाहरात उद्योग एवं पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है । जयपुर जवाहरात की मण्डी है । यहाँ माल की खरीद के लिए विदेशों से भी काफी संख्या में रत्न व्यवसायी एवं पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा होगी । अतः इन शहरों के लिए जयपुर से सीधी विमान सेवा प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक है । सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने से जवाहरात उद्योग एवं पर्यटन व्यवसाय व रंगाई, छपाई उद्योग जो सांगानेरी हैंडप्रिन्ट के नाम से जाना जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है, में गति आने से रोजगार के साधन सुलभ होंगे व राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण जयपुर से बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई एवं कुआलालम्पुर के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ किए जाने का श्रम करावें ।

(iv) Need to undertake development of National Highway No. 147 between Sarkhej and Gandhinagar in Gujarat

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I would like to draw your kind attention to the fact that development of Sarkhej - Gandhi Nagar National Highway no. NH-147 (old NH-8) is urgently required. Sarkhej-Gandhi Nagar Highway section facilitates connectivity to main National Highway NH-48 (Delhi —Ahmadabad — Mumbai) and rest of Gujarat. By serving these needs, it establishes vital linkage through Gandhi Nagar, the state capital and the largest city of Gujarat, Ahmadabad. This particular road section carries heavy traffic and experiences traffic hurdles at major junctions/intersections. Mobility and safety both are equally paramount in this section, which is presently facing capacity constraint due to four lane/six lane configuration and heterogeneous mix of local and long distance traffic. Immediate multi-laning, segregation of local and through traffic; spatially as well as grade separation is justified need at major intersections.

Although Ministry of Road Transport and Highways is attending to some of such intersections and road sections, immediate attention and action is required for integrated multi-laning, grade separation and corridor development of this section. I, therefore, urge upon the Minister concerned to take suitable step in this regard.

(v) Need to formulate and implement a scheme to provide clean drinking water to people in Rajasthan

श्री ओम बिरला (कोटा) : राजस्थान सहित देश के 78 हजार गाँव-ढाणियों में रहने वाले लगभग 4.77 करोड़ लोग फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सैलीनिटी अथवा नाइट्रोजनयुक्त पानी पीने को विवश है जिनके कारण उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अशुद्ध पेयजल के उपयोग से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। अकेले राजस्थान में 14 हजार से अधिक गाँव-ढाणियाँ फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को विवश हैं। यहाँ उल्लेखित करना चाहता हूँ कि देश में सर्वाधिक सूखा प्रदेश राजस्थान ही है जहाँ केवल 1 प्रतिशत सतही जल एवं भूजल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में राज्य की जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हम सब की जिम्मेदारी के साथ-साथ एक चुनौती भी है जिसे दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से जो दुष्प्रभाव सामने आते हैं, वे अत्यंत भयावह हैं। फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण शरीर पर विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे असमय बाल झड़ जाना, अस्थियाँ कमजोर हो जाना, दाँत खराब हो जाना तथा वृद्धावस्था के लक्षण आ जाना आदि दिखाई देने लगते हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की जनता को फ्लोराइडयुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अतिशीघ्र विशेष कार्ययोजना बनायी जाए।

**(vi) Need to take steps to curb infiltration into the country
from India-Bangladesh border**

श्री रमेश बिधुड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान भारत-बांग्लादेश सीमा पर हो रही निरंतर घुसपैठ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यू.एन.ओ. की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार असम के उन जिलों में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई जो बांग्लादेश सीमा के आस-पास है तथा बांग्लादेश के उन जिलों में जनसंख्या में असाधारण कमी आई जो भारत सीमा के आस-पास हैं। इसी रिपोर्ट में 1971 से 1981 तथा 1981 से 1991 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करते हुए बांग्लादेश में अचानक एक करोड़ व्यक्तियों के गायब होने की चिंता व्यक्त की गई।

बांग्लादेश घुसपैठ का सबसे घातक प्रभाव असम राज्य में हुआ। इसके साथ-साथ असम के 23 जिलों में से 8 जिलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है। राजनैतिक दृष्टि से नजर डालें तो 126 विधान सभा सीटों में से 46 पर घुसपैठी मतदाता के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इसका सबसे चिंताजनक पहलू अप्रैल, 2006 में असम के विधान सभा चुनाव में दिखाई दिया जिसमें ब्रह्मपुत्र व कछार घाटी में पड़ने वाले जिलों की जनसंख्या में बड़े नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई व धुबड़ी, गोलपाड़ा और दरंग में तो घुसपैठ के कारण मात्र एक वर्ष में मतदाताओं की संख्या 14 से 15 प्रतिशत बढ़ गई। असम संधि के अनुसार 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आये लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत किये जाने का वक्त दिया गया था जबकि वर्ष 1971 के बाद सीमा पार कर आये प्रवासियों का भारत में रहना अवैध तय किया गया था। असम सरकार ने श्वेत-पत्र जारी करके कहा था कि 1985 से 2012 के बीच विभिन्न न्यायालयों में 61,774 लोगों को अवैध करार दिया गया। यह तो केवल वह मामले थे जो पंजीकृत हुए।

असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा संवेदनशील है। वहां मुर्शिदाबाद जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कथित बांग्लादेशियों और मूल नागरिकों का रहन सहन और भाषा एक है जिसके चलते उनकी पहचान करना मुश्किल है।

भारत में बस गये ऐसे करोड़ों से अधिक घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा तथा अर्थव्यवस्था के लिए बोझ हैं। इनके खाने-पीने, रहने, सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का न्यूनतम खर्च रोजाना 25 रुपये प्रति व्यक्ति भी लगाया जाए तो यह राशि सालाना किसी राज्य के कुल बजट के बराबर होगी।

भारत-बांग्लादेश सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है जहां से बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ करते हैं जिसमें पिछले दो दशकों से कटीले तार लगाने का कार्य चल रहा है जो अभी तक 3,300 किलोमीटर

तक ही पूरा हुआ है । 2012-13 और 2013-14 के बजट में यूपीए सरकार ने इस कार्य के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिये थे । मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी का जिन्होंने इसके लिए अब की बार 500 करोड़ रुपये प्रदान किये ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लेने की कृपा करें ताकि यहाँ के लोगों को उनका हक मिल सके जिसके वे अधिकारी हैं ।

(vii) Need to start operation of passenger flights from Sabeyan Airport in Gopalganj district, Bihar

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे लोक सभा क्षेत्र सिवान (बिहार) के साथ पड़ोसी जिले गोपालगंज, छपरा, बलिया के काफी लोग खाड़ी देशों में रहते हैं जो विमान से आवागमन करते हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र के समीप सबैया एयरपोर्ट स्थित है जो काफी दिनों से परिचालन हेतु बंद है । अगर सबैया एयरपोर्ट को यात्री विमान परिचालन हेतु चालू किया जाता है तो यहाँ से लाखों लोगों को फायदा पहुँचेगा क्योंकि ये लोग विमान पकड़ने हेतु दिल्ली, पटना एवं लखनऊ जाते हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सबैया एयरपोर्ट (गोपालगंज) को यथाशीघ्र परिचालन हेतु खोला जाए जिससे इन इलाकों को भी हवाई सेवा से सीधे जोड़ा जा सके ।

**(viii) Need to set up a Postgraduate Institute of
Oncological Sciences and Research in Kerala**

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Kerala, once an acclaimed model for Health care is now facing several lifestyle diseases including Cancer that has assumed alarming proportions. Regional Cancer Center, Thiruvananthapuram is a premier institute for Oncology. Malabar Cancer Centre, Tellicherry, is another prestigious Institute under Government of Kerala that caters to 50% of Kerala population and hundreds of patients visit the centre from Karnataka, Tamil Nadu and Mahe (Puducherry). There is an urgent need to set up a postgraduate institute of Oncological Sciences and Research in Kerala for creating trained professionals in the field of cancer treatment. The thrust of this Postgraduate Institute should be on education, training and research in cancer and related subjects. I earnestly appeal to the Government to set up such an Institute at MCC Tellichery, Kerala.

(ix) Need to declare Narajole Rajbari, a historical palace in West Bengal as a heritage building and take measures for the conservation of the same with adequate financial provisions

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Narajole is a small town in West Bengal within my constituency between Mednipur and Tarakeshwar. Niji Narajole is famous for Rajbari. During the freedom movement, this king's palace had been the frontrunner of the India's independence war. Almost 300 years old, Narajole Rajbari and the brilliant sculpture around it is a unique archaeological heritage site. The architectural design and structures are built on 100 acres land. The West Bengal State Government has already declared this site as heritage property. Recently the team of Archaeological survey of India has visited Niji Narajole and has recognized its monumental value and need for protection. Keeping the historical and cultural importance, I request the concerned Minister to consider Narajole Rajbari as National Heritage site of the country and come forward with full financial support so that this could become an unique tourist spot.

(x) Need to convert National Highway No. 6 between Kharagpur and Sambhalpur into four lane and also to construct a road over-bridge and a bypass road in Keonjhar city

श्रीमती सकुंतला लागुरी (क्योंझर): राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोलकाता से मुम्बई वाया खड़गपुर-जामसेला-क्योंझर-सम्भलपुर होकर जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर शहर के बीच में होकर निकलता है। इस मार्ग पर बड़े वाहन रात-दिन चलते हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दिन के समय यातायात जाम हो जाता है जिससे लंबे रूट के वाहनों एवं स्थानीय लोगों को अत्यंत परेशानी होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खड़गपुर से सम्भलपुर तक चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या बाइपास की व्यवस्था हो जाए तो इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि खड़गपुर से सम्भलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या क्योंझर शहर में बढ़ते यातायात को समुचित चलाने हेतु बाईपास का निर्माण करवाया जाए।

(xi) Need for speedy implementation of the National Food Security Act in the Union Territory of Lakshadweep

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): For the implementation of the National Food Security Act (NFSA) in the Union Territory of Lakshadweep, the Administration has completed the process of identifying priority households. Lakshadweep administration is ready to implement the Act and has reported to the Ministry that the required quantity of rice is available with them under Targeted Public Distribution System (TPDS). The Lakshadweep Administration has sought approval of the Ministry to distribute to the priority households by converting the stock of TPDS food grains. It has suggested that the said stocks can be replenished on receipt of allocation of food grains under the NFSA. Therefore, I request the government to take necessary steps for speedy implementation of the National Food Security Act in the Union Territory of Lakshadweep.

(xii) Need to expedite the construction of National Highway No. 54 (E)

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): The road connectivity of northeastern zone is very poor. In the year 2001 a dream project was sanctioned by the Union Government namely East-West Corridor Project. Under the project, NH-54 (E) is to connect the northeastern states with other parts of the country. Initially government's target for completion of work was 2009, but due to some reason Government further declared that it will be completed within December 2014. Fourteen years have passed, still the project is under construction. The cost of the project has also become high due to delay. Few days ago one of the leading local newspapers has published that construction company namely NKC-JKM(JB) was engaged in the year 2011 for construction work of the road with a length of 40km vide Package number AS-21 and AS-22, from Harangajo to Maibang. The company failed to complete the allotted works satisfactorily till date. On 15th October 2014 project director of NHAI visited that particular area to see the progress of work. But, the problems persisted and looking at the development, it is difficult to say when it will be completed.

On the other hand, mega block for the gauge conversion of railway line from Lamding to Silchar is underway and is to be completed by March, 2015. Road connectivity is the only way of carrying essential commodities of that area. Only four to five months is workable season in that region.

I want to know from the honorable minister the present status of the work and the time by which is it likely to be completed.

(xiii) Need to release all the prisoners from jails who have completed their sentence particularly in Punjab

श्री भगवंत मान (संगरूर): हमारे देश में बहुत से ऐसे कैदी जेलों में बंद हैं जिनकी सजा पूरी हो गई लेकिन वे अभी भी जेलों में बंद हैं। भारतीय कानून के अनुसार जिन कैदियों की सजा पूरी हो गई है, उनको जेल से छोड़ देना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। पंजाब के बहुत से लोग जेलों में बंद हैं और सजा पूरी हुए 10-10 या 12-12 साल हो गए लेकिन उनकी जेल से रिहाई नहीं हुई। इस मामले में भाई गुरुबख्श सिंह ने मोहाली में भूख हड़ताल की थी तो पंजाब सरकार ने वादा किया था कि उन कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा लेकिन वह वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। अभी भाई गुरुबख्श सिंह जी ने अंबाला में भूख हड़ताल कर दी है लेकिन कोई भी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरे देश में ऐसे हजारों केस हैं जिनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद रखा गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने की वजह से वे पैरोल पर या छुट्टी पर भी नहीं आ सकते।

अतः गृह मंत्री जी को आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द उन कैदियों को रिहा किया जाए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है ताकि वे अपने परिवारजनों में बाकी जिंदगी सकून से बिता सकें।

(xiv) Need to review the High Range Mountain Landscape Project covering Idukki, Ernakulam and Thrissur districts of Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Kerala Forest Department (KFD) have been implementing a global environment facility (GEF) funded project namely 'High Range Mountain Landscape (HRML)' with the partnership of UNDP with 340,000 hectares of land as project area in Idukki, Ernakulam and Thrissur districts, Kerala. The Project, an outcome of a stake-holder workshop held at Munnar on 12th March 2013 with 144 participants had 44 part-time watchers and drivers of KFD. Mr. S. Rajendran M.L.A., and other participants of the workshop informed the Government that they were invited for a workshop on tourism development only. The said project may be a fraud on the people. The objective of the project was to establish 11650 hectares of land as new protected area and assign elevated protected status to the townships, farm lands, plantations etc. At the end of the project period, the people living in the area would be deprived of their livelihood options and forced to vacate the land. This is nothing but environmental colonialism and terrorism eyeing on foreign contribution. Hence, I urge upon the Government to intervene and save the affected people of the High Range Mountain Landscape area.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, एक मिनट!...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब नहीं होता है। आपको कोई अच्छी बात बोलनी हो तो बोलो नये साल के लिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं अच्छी बात ही बोलता हूँ!...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं एलाऊ करती हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज मैं किसी को कुछ एलाऊ नहीं कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी एलाऊ नहीं कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष जी, अगर वह स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बाद आप समाप्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान) हम आपका आदर करते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब अच्छा क्रिसमस मनाओ, नया साल मनाओ। खड़गे जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं एलाऊ कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैंने बोला है - "नहीं" तो नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सलीम भाई, बैठिए।

...(व्यवधान)

12.15 hrs**VALEDICTORY REFERENCE**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 16वीं लोक सभा का तीसरा सत्र, जो 24 नवम्बर, 2014 को प्रारम्भ हुआ, आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान 22 बैठकें हुईं, जिनमें 129 घंटे और 47 मिनट का समय लगा।

सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाये गए। अनुदानों की अनुपूरक मांगों (2014-2015) पर चर्चा लगभग 4 घंटे चली जिसके बाद इन्हें स्वीकृत किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दौरान 16 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सत्र के दौरान 18 विधेयक पारित हुए जो हाल के वर्षों में एक तरह का रिकॉर्ड है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा आपके सहयोग और प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, कपड़ा उपक्रम विधि विधेयक, संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली विधेयक, कोयला खान कम्पनी विधेयक वगैरह।

इस सत्र के दौरान 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 103 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 4.68 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सहित 5058 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। आधे घंटे की चर्चा के लिए दो मुद्दे उठाए गए जिनमें डॉ. किरीट सोमैया ने प्लास्टिक के खतरे और श्री तथागत सत्पथी जी ने "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के बारे में मुद्दे उठाए और संबंधित मंत्रियों ने उनका उत्तर दिया।

प्रश्नकाल के बाद और सायं देर तक चली बैठकों में सदस्यों द्वारा लगभग 684 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 271 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा को 70 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के द्वारा चार महत्वपूर्ण मामले उठाए गए। ये मामले हैं - श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के किए गए अपहरण और उत्पीड़न, देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण उत्पन्न स्थिति, जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं का प्रचलन, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में इन्सेफलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति। इन ध्यानाकर्षणों के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्रियों ने बयान दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर भी दिए गए।

सभा में अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन चार अल्पकालिक चर्चा भी हुई जिनमें विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने की प्रक्रिया तेज किए जाने की आवश्यकता, देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को कथित रूप से क्षीण किये जाने के बारे में चर्चा और धर्मांतरण की कथित घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा हुई। चौथी चर्चा की अनुमति कार्यसूची में प्रविष्ट किए वगैर विशेष मामले के रूप में अध्यक्ष द्वारा दी गई। इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने के साथ समाप्त हुई।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 39 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य पर तीन वक्तव्य दिए गए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा के पटल पर 2123 पत्र रखे गए।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत इस सत्र के दौरान 68 गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 8 अगस्त, 2014 को पेश किए गए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् विधेयक - 2014 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 28 नवम्बर, 2014 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। प्रभारी सदस्य ने चर्चा समाप्त हो जाने पर सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया। अन्य विधेयक, अर्थात् अम्ल नियंत्रण विधेयक -2014, जिसका आशय अम्लों के क्रय और वितरण का नियंत्रण करना है, को डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा 28 नवम्बर, 2014 को पेश किया गया। इस विधेयक पर आगे चर्चा 12 दिसम्बर, 2014 को की गई तथा उसी दिन चर्चा की समाप्ति पर प्रभारी सदस्य द्वारा सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया। श्री भर्तृहरि महताब द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को पेश किए गए वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई, 2014 को पेश किए गए राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर आगे चर्चा 5 दिसम्बर, 2014 को जारी रही और सभा की अनुमति से 19 दिसम्बर, 2014 को वापस लिया गया। भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में योद्गान देने में समर्थ बनाने के लिए युवाओं में तकनीकी दक्षता के विकास के लिए योजना और 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में अन्य संकल्प श्री सी.आर. पाटील द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 को पेश किया गया और इस पर चर्चा अधूरी रही।

इस सत्र में व्यवधानों और स्थगनों के कारण 3 घंटे 28 मिनट से अधिक समय की हमें हानि हुई। तथापि, इस सभा ने महत्वपूर्ण वित्तीय और अन्य कार्यों के निपटान के लिए लगभग 17 घंटे 30 मिनट के लिए बैठक की जो सराहनीय है तथा मैं सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। सभा ने आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान में निर्दोष स्कूली बच्चों का नरसंहार करने और एक पाकिस्तानी न्यायालय द्वारा मुंबई की 26/11 की आतंकवादी घटना के आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की निंदा किए जाने से संबंधित दो संकल्पों को भी सर्वसम्मति से पारित किया।

मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों के कार्य को पूरा करने में सहयोग देने पर धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतक तथा माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ। मैं आप सभी की ओर से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव द्वारा मुझे दी गई सक्षम और विशेषज्ञ सहायता के लिए बधाई देती हूँ। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारीगण को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा पर धन्यवाद देती हूँ। मैं सभा की कार्यवाहियों के संचालन में सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देती हूँ।

मैं माननीय सदस्यों को - के.सी. वेणुगोपाल जी -“क्रिसमस” तथा “नव वर्ष” की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा विश्वास है कि नूतन वर्ष एक मजबूत प्रजातंत्र तथा सक्षम भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। फिर एक बार सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं।

12.23 hrs

NATIONAL SONG

माननीय अध्यक्ष : अब वंदे मातरम् होगा। सदस्य कृपया खड़े हो जाएं।

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

12.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.
